

22 पञ्जावती पैरा हुई / कमील अपीलान्ट
 उपास्थित / रैस्पॉडेंस सं. 3 एवं 6 के विरुद्ध
 एक तरफा कार्यवाही है। अपीलान्ट ने
 इन आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
 कि रैस्पॉडेंस 6, 7, 8 उफोर्मा पत्रकार
 है। अतः उनके विरुद्ध कोई अनुतोष
 नहीं चाहा है। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल
 किया गया। वसुन्दाय फेरिकेन उपास्थित /
 बहम समायत की गई। अपील -
 अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा
 आदेशित आदेश इन्तकाल दिनांक 20/01/22
 रैस्पॉडेंस सं. 1 ता 5 की हद तक
 निरस्त किया जाता है।

विस्तृत निर्णय जुदागाना मेरे द्वारा
 लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया
 गया।

पञ्जावती फौसल शुमार होकर दसब
 जाब्ता दारिफिल दफ्तर हो।
 निर्णय आज दिनांक 12/10/2022 को
 मेरे द्वारा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत जिला-बीकानेर